फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल पिता श्री हीरालाल बैरवा निवासी राजपुरा दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

– अपीलांट

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द
2. लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा।

– रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 23/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 22.07.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू.अ.05/2019/412–13 दिनांक 27.05.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 13.02.2019 का सूचना अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 15.02.2019 को प्राप्त हुआ हैं। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना उप पंजियक रेलमगरा जिला राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकः प.1( )सू.अ.05/2019/144–45 दिनांक 15.02.2019 को प्रेषित किया गया तथा प्रार्थी को भी सूचित किया गया। प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय/अनुभाग को प्राप्त हुआ आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना उप पंजियक कार्यालय रेलमगरा की होने से उसी दिन संबंधित विभाग को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (3)(I)(II) के तहत अन्तरण कर भिजवाया गया तथा प्रार्थी अपीलार्थी को भी अन्तरण पत्र की प्रति से सूचित किया गया हैं। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा द्वारा जरिये क्रमांक /रीडर/सूचना का अधिकार/2018/675 दिनांक 12.07.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दायर की गयी अपील समस्त बिन्दुओं में प्रकट किए गए समस्त तथ्य ग्राम सिन्देसरखुर्द **तह0** रेलमगरा में दिनांक 01.01.2010 से 10.02.2019 तक की अवधी में भूमि भवन आदि के किए गए क्रय विक्रय से संबंधित विवरण	

एवं अधिकारियों के कार्यरत रहने व आवासीय पटटो की अधिकारिता, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा विक्रय किए जाने की अधिकारिता से संबंधित तथा उक्त अंवधी में क्रय विक्रय किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध कराए जाने का उल्लेख अंकित किया गया हैं। अपीलार्थी को कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2010 से 10 फरवरी 2019 तक की अवधि मे कार्यरत रहे अधिकारियों की जानकारी एवं सिन्देसरखुर्द मे अचल सम्पतियों की खरीद फरोख्त से संबंधित जानकारी पत्र क्रमाक 555 दिनांक 18 मार्च 2019 के द्वारा भिजवाया दिया गया। इसके अलावा अपीलार्थी को कार्यालय के उपरोक्त पत्र क्रमांक 555 दिनांक 18 मार्च 2019 के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया कि सिन्देसरखुर्द में अचल सम्पत्तियों की खरीद फरोख्त से संबंधित पंजीकृत कुल 68 दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए नियमानुसार प्रत्येक दस्तावेज वाईज– निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, 100/– रू. का नोन ज्युडिशियल स्टाम्प, 100/– प्रतिलिपी शुल्क का ई–चालान बैंक में जमा करा कर चालान की प्रति संलग्न करा प्रस्तुत किए जाने पर वांछित नकले उपलब्ध करवायी जा सकेगी। इसके पश्चात आदिनांक तक अपीलार्थी के द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियॉ बाबत किसी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर राजसमन्द में प्रथम अपील दायर किए जाने के बाद, उक्त विचाराधीन अपील के निस्तारण के पूर्व ही माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग में अपील सं0 109339/2019 दायर करवायी गयी हैं जिसकी आगामी सुनवायी तिथी दिनांक 23.10.2019 नियत हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को तहसीलदार रेलमगरा द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र मय वांछित शुल्क जमा कराने बाबत सूचित किया गया। ताकि वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियॉ बाबत शुल्क जमा नही करवाया। साथ ही उक्त विचाराधीन प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत अपील के निस्तारण के पूर्व ही अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग में अपील करने से उक्त अपील के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए उक्त अपील की कार्यवाही इस स्तर पर ड्रोप की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)